राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.4(16)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2016/325 जयपुर, दिनांक 19-4-2017

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्तर पर स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के सम्बन्ध में संबंधित पक्षकार को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस तरह के प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अतः ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाये ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(ललित कुमार)
उप शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान ।
7. ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, रारजस्थान ।
11. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव(विधि)